

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695 001



OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सं/No. Au/Admn V/2025-26
दिनांक /Dated: 09.10.2025

परिपत्र सं. 55/Circular No. 55

विषय: कार्यस्थल पर पेशेवर पहनावे पर निर्देश ।

Sub: Directive on professional attire in Workplace.

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह पाया गया है कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी, इस संबंध में जारी परिपत्र संख्या 45 दिनांक 06.08.2025 के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, सामयिक पहनावे में कार्यालय आ रहे हैं। यह वर्तमान सरकारी शिष्टाचार का उल्लंघन है।

अतः, यह पुनः दोहराया जाता है कि सभी पुरुष/महिला कर्मचारी कार्यालय/आधिकारिक ड्यूटी पर उपस्थित रहते हुए सामयिक पहनावे जैसे टी-शर्ट, जींस, रिप्ड ट्राउज़र, शॉर्ट्स, ट्रैकसूट या शॉर्ट टॉप न पहनें। इसका उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी शाखा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उनके अधीन कार्यरत कर्मचारी औपचारिक पहनावे में कार्यालय आएँ।

It has been observed by the Competent Authority that some Officers/Officials are attending office in casual attire, despite clear instructions issued in this regard vide circular no 45 dated 06.08.2025. This is in violation of the official decorum in place.

Hence, it is reiterated that all Male/Female staff should not wear casual attires such as T-shirts, jeans, ripped trousers, shorts, tracksuits or short tops while they are attending office/official duty. Violation of this would attract disciplinary action. **All Branch Officers are hereby directed to ensure that the staff working under them are attending office in their formal attire.**

(महालेखाकार के दिनांक 08.10.2025 के आदेशानुसार ।)

(Vide orders dated 08.10.2025 of Accountant General)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन
Sr. Audit Officer/Admn

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) सभी समूह अधिकारी/All Group officers
- 2) सभी शाखा अधिकारी/All Branch Officers
- 3) आर ए ओ सहित सभी अनुभाग/All Sections including RAO
- 4) सभी शाखा कार्यालय/All Branch Offices
- 5) परिपत्र पुस्तिका/Circular Book
- 6) सूचना पट्ट/Notice Board